

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2

प्रपत्र संख्या-43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

- उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा
- जिस व्यक्ति (पदेनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम
 - पता
 - पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)
 - जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)
 - चालान की प्रकार का राशि
 - चलान की विवरण राशि
 - लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर :
 - लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक	उप-मुख्य-शीर्षक	तन्तु-शीर्षक	उप-शीर्षक	व्यतिरेक-शीर्षक	धनराशि (अंकों में)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

धनराशि (शब्दों में)

योग

चालान में लेखाशीर्षक को पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चलान संख्या :

अंकों में रु०

शब्दों में रु०

दिनांक :

<input type="text"/>
<input type="text"/>

प्राप्त किया

जमाकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/

बैंक की प्रत्येक प्रति-

विवरण : रोकड़ (विवरण सहित)
नोट/सिकके

(धनराशि रूपयों में)

1000 x

500 x

100 x

50 x

20 x

10 x

5 x

2 x

1 x

चेक (पूर्ण विवरण के साथ)

योग :-

टिप्पणी :-

1. जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे व्यापार कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड-4 अथवा लोक लेखा खण्ड-2 के अनुसार लेखा शीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड-2 (लोक लेखा) तथा खण्ड-4 (राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्तियां) में दर्शाये गये लेखा-शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
2. जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा-शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।
3. यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे का कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायेगी।